कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
ट्रांसपोर्ट नगर,सहारनपुर रोड, देहरादून।

पत्रांक 329 / नजारत / 2019—20 दिनांक 24/7/19

स्टेशनरी / लेखन सामग्री की आपूर्ति हेतु ई—निविदा सूचना

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय मे वित्तीय वर्ष 2019—20 हेतु स्टेशनरी / लेखन सामग्री की आपूर्ति के लिये पंजीकृत फर्मो / आपूर्तिकर्ताओं से सीलबन्द ई—निविदा दिनांक 20-8-2019 को अपरान्हन 3.00 बजे तक UKtenders.Gov.in की वेबसाईट से अपलोड कर सकते है। प्राप्त ई निविदाओं को निविदा समिति के द्वारा उसी दिन अपरान्हन 3.00 बजे के उपरांत खोली जायेगी।

इच्छुक फर्म द्वारा सम्बन्धित कार्य हेतु निविदा मूल्य रू0 1180/— (जी0एस0टी0 सहित) एवं धरोहर राशि रू0 10,000/— की धनराशि का पे—ऑर्डर/ड्राफ्ट जो सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पक्ष में हो, उक्त वेबसाईट में अपनी निविदा प्रस्ताव के साथ स्कैन करना होगा तथा इसकी मूल प्रति प्राधिकरण कार्यालय के नजारत अनुभाग में उक्त तिथि को 2.00 बजे तक जमा कराना होगा। उपाध्यक्ष, एम0डी0डी0ए0 को किसी भी निविदा को बगैर कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। शेष शर्तें प्राधिकरण की उक्त वेबसाईट मे अपलोड की जा रही है।

नजारत प्रभारी

कार्यालय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
टांसपोर्ट नगर,सहारनपुर रोड, देहरादून।

(स्टेशनरी आपूर्ति वर्ष 2019–20)

नियम तथा शर्ते

निविदादाताओं पर निम्नलिखित नियम एवं शर्ते लागू होगी तथा उनकी पुष्टि में निविदा प्रपत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

1. रूपये 10,000/–(रूपये दस हजार मात्र) की धरोहर राशि (Earnest Money) सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पदनाम से बनाकर एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा। धरोहर राशि संलग्न न होने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा। असफल निविदादाताओं की धरोहर राशि वापस की जायेगी।
2. सफल निविदादाता को स्वीकृति आदेश जारी होने के तीन दिन के अन्दर रूपये 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) की जमानत राशि (Security Money) सचिव, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पदनाम से एफ0डी0आर0 जमा करना आवश्यक होगा। सफल निविदादाताओं की धरोहर राशि को जमानत की धनरराशि में समयोजित किया जा सकता है। जमानत राशि अनुबन्ध की अवधि पूर्ण होने के पश्चात वापस की जायेगी। परन्तु अनुबन्ध/आपूर्ति में किसी भी प्रकार की लापरवाही होने पर जमानत धनराशि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेंगी तथा अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
3. विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की दरें अलग–अलग दी जाय।
4. निविदा स्वीकृत आदेश के जारी होने की तिथि से समय–समय पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की मांग के अनुसार सामग्री की आपूर्ति की जायेगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति आदेश जारी होने के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण कार्यालय तक सामग्रियां स्वयं पहुचानी होगी।
5. बिल का भुगतान बिल प्रस्तुत करने की तिथि से एक माह के अन्दर किया जायेगा। बिल के साथ आपूर्ति आदेश संलग्न करना आवश्यक होगा।
6. करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
7. निविदादाता फर्म बिक्री कर विभाग से पंजीकृत होनी चाहिए (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।
8. निविदादाता को आयकर दाता होना चाहिये (फर्म व उसके मालिक/साझेदारों के नवीनतम वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा)।
9. विगत वर्षो की राजकीय विभागों में सन्तोषजनक आपूर्ति किये जाने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।
10. निविदादाता की कोई शर्त स्वीकार्य नही होगी। नियम व शर्तो के अनुरूप निविदा प्रस्तुत न किये जाने पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
11. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून को बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून से वेबसाईट के माध्यम से अपलोड की गयी निविदा ही मान्य होगी।

13. समस्त प्रकार की सामग्रियां जिनकी निविदा मंगाई है उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिये। सामग्री की गुणवत्ता व किस्म मानको के अनुसार न होने पर उसे तत्काल आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जायेगा।

14. जहां–जहां लागू हो फार्म–3 डी के आधार पर सामान की आपूर्ति की जानी होगी।

15. निविदा की दरें उन्ही सामग्रियों की दी जायेगी जिनका उल्लेख निविदा फार्म में किया गया है।

16. सभी निविदादाताओं को आवश्यकतानुसार सामग्रियों का नमूना भी संलग्न करना होगा।

17. निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी सामग्रियों की दरें निविदा–दाता को देनी होगी अन्यथा उनकी निविदा निरस्त मानी जायेगी।

मैं लिखित रूप में अपनी सहमति देता हूॅ कि उक्त लिखित सभी नियम तथा शर्ते मुझे मान्य है तथा मैं अनुमोदित दरों पर सामग्रियां आपूर्ति करने हेतु इच्छुक हूॅ। यदि मुझे स्टेशानरी आपूर्ति आदेश निर्गत किया जाता है तो मैं रूपये 100/– के गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर औपचारिक अनुबन्ध पत्र भरने के लिये सहमत हूॅ।

हस्ताक्षर

निविदादाता/आपूर्तिकर्ता का नाम व पूरा पता

स्थान..........................

दिनांक.......................

मुहर...